

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति गौतमबुद्धनगर की दिनांक 06.03.2023 को आमन बैठक का कार्यवृत्त:-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, के शा०सं० 95/छिहत्तर-2020-20 स्वजल/2010 टी०सी०-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-5-2010-20 स्वजल 2010 (टी०सी०अ०) दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुए जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति का पुनर्गठन किया गया था। शासनादेश द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को जलापूर्ति की योजना की स्वीकृति एवं राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन को अधिसारित करने हेतु अधिकृत किया गया है।

जनपद गौतमबुद्धनगर की पेयजल योजनाओं की डी०पी०आर० की स्वीकृति एवं कार्यों की प्रगति हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति" गौतमबुद्धनगर की बैठक दिनांक 06.03.2023 को आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर-उपाध्यक्ष।
2. जिला विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर -सदस्य।
3. प्रभागीय वनाधिकारी/नामित अधिकारी -सदस्य।
4. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी-सदस्य।
5. अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल गौतमबुद्धनगर -सदस्य।
6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर -सदस्य।
7. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर -सदस्य।
8. जिला कृषि अधिकारी, गौतमबुद्धनगर -सदस्य।
9. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, गौतमबुद्धनगर -सदस्य।
10. अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) गौतमबुद्धनगर-सदस्य सचिव।
11. मैसर्स एल०सी० इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० (जे०वी०), के प्रोजेक्ट मैनेजर

डी०पी०आर० के संबध में-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक 2394/w-22/NIT/2020-21 दिनांक 25.01.2021 के द्वारा मै० एल०सी०इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० (जे०वी०), अहमदाबाद को जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गौतमबुद्धनगर की पेयजल योजनाओं की डी०पी०आर० विरचन एवं पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु अधिकृत किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु चयनित फर्म मै० एल०सी०इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० (जे०वी०), अहमदाबाद द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जनपद गौतमबुद्धनगर हेतु पत्र संख्या- LC/HO/Projects/UP_JJM/GBNagar/2022-23/254 Date:-27-02-2023 के माध्यम से 14 नग डी०पी०आर० जल निगम कार्यालय में प्रस्तुत की गई है, जिनमें 15 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित है। डी०पी०आर० को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ तथा जल निगम द्वारा समय-समय पर निर्गत विभिन्न तकनीकी गाइड लाइन के अनुरूप जल निगम कार्यालय द्वारा जाँच की गई है। डी०पी०आर० की कुल लागत में वर्क कॉस्ट, 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी 12.50 प्रतिशत। विभागीय सेंटेंज तथा 18 प्रतिशत जी०एस०टी० को सम्मिलित किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा दी गई गाइडलाईन के अनुसार 12.50 प्रतिशत सेंटेंज के व्यय का भी प्राविधान राज्यांश में किया गया है तथा इसके अतिरिक्त 10 वर्ष हेतु Operation and Maintenance हेतु व्यय कर भी प्राविधान राज्यांश में किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा दी गई गाइडलाईन के अनुसार Ultimate Design Year के लिये योजना हेतु Per Capita Cost की दर रु 9000.00 निर्धारित की गई है तथा उक्त आंकलन हेतु वर्क कॉस्ट, कन्टीजेन्सी तथा जी०एस०टी० को लिया गया है। मैसर्स एल०सी०इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० (जे०वी०) अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत डी०पी०आर० का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

क्र सं	योजना का नाम	ब्लाक का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	डिजाइन वर्ष 2052 की जनसंख्या	वर्क कॉस्ट (रु०करोड़)	सेन्टेज (रु०करोड़)	कुल लागत (रु० करोड़)	प्रति व्यक्ति लागत डिजाइन वर्ष 2052 हेतु (रु०)
1	छातगा खुर्द एवं झुप्पा	जेवर	2	560	5924	3.64	0.39	4.03	6150
2	साहपुर	जेवर	1	416	3207	1.92	0.20	2.12	5984
3	गकनपुर खादर	जेवर	1	443	3416	2.18	0.23	2.41	6375
4	मेहन्दीपुर खादर	जेवर	1	125	813	1.23	0.13	1.36	15125
5	नगला कीर्ति	जेवर	1	162	1054	1.42	0.15	1.57	13491

नागोली	जेवर	1	251	1627	1.76	0.19	1.95	10840
सरकपुर	जेवर	1	251	1931	1.65	0.18	1.83	8560
राजपुर कला	जेवर	1	498	3229	2.62	0.28	2.90	8120
कुडी खेड़ा	बिसरख	1	577	3758	2.65	0.28	2.93	7041
इस्लामाबाद कल्दा	बिसरख	1	333	2175	1.86	0.20	2.06	8992
फूलपुर	दादरी	1	394	2551	1.99	0.21	2.20	7785
दादपुर खटाना	दादरी	1	275	1789	1.85	0.20	2.05	10337
मुतियानी	दादरी	1	289	1890	1.69	0.18	1.87	8937
रसूलपुर डासना	दादरी	1	491	3208	2.02	0.21	2.24	6312

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार डी0पी0आर0 में (1) योजना की प्रति व्यक्ति लागत ₹0 9000 से कम होनी चाहिए (2) योजना में एकल ग्राम हेतु प्रति गृह संयोजन (FHTC) लागत ₹0 35000 से कम होनी चाहिए तथा बहुल ग्राम हेतु प्रति गृह संयोजन (FHTC) लागत ₹0 65000 से कम होनी चाहिए (3) प्रति किलोमीटर वितरण प्रणाली की लागत ₹0 15.00 लाख से कम होनी चाहिए।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया उपरोक्त समस्त 14 नग प्रस्तुत 14 नग डी0पी0आर0 में से 01 नग डी0पी0आर0 (02 नग ग्राम) क्रमांक (1). छातंगा खुर्द एवं झुप्पा शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है तथा कम्पलाईन है। शासनादेश संख्या-07/2022/430/छिहत्तर-1-2022-25सम/2019 दिनांक 04.03.2022 के अनुसार उपरोक्त 01 नग डी0पी0आर0 (02 ग्राम) मानक के अनुरूप हाने तथा डी0पी0आर0 की लागत ₹0 5.00 करोड़ से कम होने के कारण उक्त छातंगा खुर्द एवं झुप्पा की 01 नग डी0पी0आर0 की स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गौतमबुद्धनगर द्वारा प्रदान करते हुए उक्त डी0पी0आर0 को स्वीकृति हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

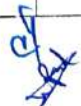
उपरोक्त मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई अवशेष 13 नग डी0पी0आर0 में से 04 नग डी0पी0आर0 में प्रति व्यक्ति लागत ₹0 9000 से अधिक है, तथा समस्त 13 नग डी0पी0आर0 में प्रति गृह संयोजन (FHTC) लागत ₹0 35000 से अधिक है जिस कारण से उक्त समस्त 13 नग डी0पी0आर0 निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है। उक्त समस्त 13 नग डी0पी0आर0 की कार्यालय जल निगम (ग्रामीण) गौतमबुद्धनगर द्वारा विस्तृत रूप से जाँच करने पर भी उक्त 13 नग डी0पी0आर0 को मानक के अनुरूप लाना सम्भव नहीं है। मानक के अनुरूप नहीं पाई गई डी0पी0आर0 के मानक में नही होने का विवरण एवं कारण निम्नानुसार है-

क्र सं	योजना का नाम	ब्लाक का नाम	वर्क कॉस्ट (₹0 करोड़)	सेन्टेज (₹0 करोड़)	कुल लागत (₹0 करोड़)	डिजाइन वर्ष 2052 की जनसंख्या	प्रति व्यक्ति लागत ₹0 में डिजाइन वर्ष 2052 हेतु मानक ₹0 9000 के सापेक्ष	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	प्रति FHTC की लागत मानक ₹0 35000 के सापेक्ष	प्रति कि0मी0 की लागत मानक ₹0 15 लाख के सापेक्ष	मानक के अनुरूप नहीं होने का कारण
1	साल्हेपुर	जेवर	1.92	0.20	2.12	3207	5984	416	46154	8.673	आबादी तथा घरों की संख्या कम होने के कारण योजना प्रति FHTC मानक के अनुरूप नहीं है
2	मकनपुर खादर	जेवर	2.18	0.23	2.41	3416	6375	443	49210	9.968	आबादी तथा घरों की संख्या कम होने के कारण योजना प्रति FHTC मानक के अनुरूप नहीं है
3	महन्दीपुर खादर	जेवर	1.23	0.13	1.36	813	15125	125	98400	6.136	आबादी तथा घरों की संख्या कम होने के कारण योजना प्रति FHTC तथा प्रति व्यक्ति लागत

											मानक के अनुरूप नहीं है
	नगला चौति	जेवर	1.42	0.15	1.57	1054	13491	162	87654	8.791	आबादी तथा घरों की संख्या कम होने के कारण योजना प्रति FHTC तथा प्रति व्यक्ति लागत मानक के अनुरूप नहीं है
5	चांगोली	जेवर	1.76	0.19	1.95	1627	10940	251	70119	9.994	आबादी तथा घरों की संख्या कम होने के कारण योजना प्रति FHTC तथा प्रति व्यक्ति लागत मानक के अनुरूप नहीं है
6	सरकपुर	जेवर	1.65	0.18	1.83	1931	8560	251	65737	8.606	आबादी तथा घरों की संख्या कम होने के कारण योजना प्रति FHTC मानक के अनुरूप नहीं है
7	राजपुर कला	जेवर	2.62	0.28	2.90	3229	8120	498	52610	8.834	आबादी तथा घरों की संख्या कम होने के कारण योजना प्रति FHTC मानक के अनुरूप नहीं है
8	कुडी खेडा	बिसरख	2.65	0.28	2.93	3758	7041	577	45927	8.530	आबादी तथा घरों की संख्या कम होने के कारण योजना प्रति FHTC मानक के अनुरूप नहीं है
9	इस्लामाबाद कल्दा	बिसरख	1.86	0.20	2.06	2175	8992	333	55856	13.74	आबादी तथा घरों की संख्या कम होने के कारण योजना प्रति FHTC मानक के अनुरूप नहीं है
10	फूलपुर	दादरी	1.99	0.21	2.20	2551	7785	394	50507	10.528	आबादी तथा घरों की संख्या कम होने के कारण योजना प्रति FHTC मानक के अनुरूप नहीं है





	दादरी	1.85	0.20	2.05	1789	10337	275	50875	9.849	आवादी तथा घरों की संख्या कम होने के कारण योजना प्रति FHTC तथा प्रति व्यक्ति लागत मानक के अनुरूप नहीं है	
12	मुठियानी	दादरी	1.69	0.18	1.87	1890	8937	289	58477	12.580	आवादी तथा घरों की संख्या कम होने के कारण योजना प्रति FHTC मानक के अनुरूप नहीं है
13	रसूलपुर डासन	दादरी	2.02	0.21	2.24	3208	6312	491	41140	10.023	आवादी तथा घरों की संख्या कम होने के कारण योजना प्रति FHTC मानक के अनुरूप नहीं है

उपरोक्त के अनुसार सख्त अभियान (मेरठ क्षेत्र) 2020 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ के द्वारा तकनीकी रूप से

2.2

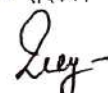
अतः उपरोक्त एजेण्डा के अनुसार मुख्य अभियंता (मेरठ क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ के द्वारा तकनीकी रूप से स्वीकृत परन्तु मानक के अनुरूप नहीं पाई गई उपरोक्त समस्त 13 नग डी०पी०आर० को भी जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गौतमबुद्धनगर द्वारा जॉच एवं स्वीकृति हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गौतमबुद्धनगर द्वारा तत्काल समस्त 14 नग डी०पी०आर को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित करने हेतु पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
बैठक धन्यवाद सहित समाप्त हुई।

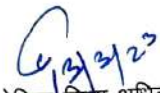

अधिशाली अभियंता,
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गौतमबुद्धनगर
सदस्य सचिव।


जिला सूचना एवं
जन सम्पर्क अधिकारी, गौतमबुद्धनगर
सदस्य।


जिला कृषि अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर सदस्य।


अधिशाली अभियंता ग्राउंड वाटर,
गौतमबुद्धनगर सदस्य।


अधिशाली अभियंता सिचाई,
गौतमबुद्धनगर सदस्य।


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर सदस्य।


जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर सदस्य।


प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर सदस्य।


जिला विकास अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर सदस्य।


मुख्य विकास अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर, उपाध्यक्ष।


जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर अध्यक्ष

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति गौतमबुद्धनगर।

14/3/23